Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to ensure mandatory availability of free, clean and safe drinking water in all the educational institutes, hotels and other public service commercial establishments.

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): जल ही जीवन है। जल अपरिहार्य है, जल अनिवार्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर आजकल कई विषयों को लेकर गंभीर अधिनियम बनाये गये हैं। हमारी सरकार स्वयं मानव मात्र की सर्वतोभावेन् रक्षा और उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है, किन्तु भारतीय जनमानस को मानक शुद्ध पेयजल नि:शुल्क रूप से स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी हम उपलब्ध नहीं करा सके।

मैं बिना किसी भूमिका के सीधे बड़ी साफगोई से इस बात को कहना चाहती हूँ कि गुणवत्तापूर्ण मानक शुद्ध जल उपलब्ध कराने हेतु कठोर नियम बनाये जाने और उनके पालन को सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है । हालात यह है कि एक गरीब, निम्न मध्यमवर्गीय परिवार का व्यक्ति किसी होटल या रेस्टोरेन्ट में 05 रुपये को समोसा खाता है तो उसे विवश होकर 20 रुपये की पानी की बोतल खरीदनी पड़ती है क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं उसे कोई पेयजनित बीमारी को शिकार न होना पड़े।

आपसे मेरा सीधा सा आग्रह है कि अनिवार्य शिक्षा गारंटी अधिनियम की तरह ही प्रत्येक व्यक्ति को मानव शुद्ध जल अनिवार्यतः उपलब्ध कराने हेतु अधिनियम बनाया जाए, जिसमें इस बात की सुस्पष्ट व्यवस्था हो कि सभी शैक्षणिक संस्थान (स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर) साथ ही होटल, रेस्तरा, ढ़ाबा व भोज्य पदार्थ बेचने वाले समस्त संस्थान इसके अलावा औद्योगिक ईकाइयां, सभी शासकीय ईकाइयां और सभी सार्वजनिक उपक्रम मानक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करायें। इसके अलावा बस अड्डों व रेलवे स्टेशन पर भी मानक शुद्ध पेयजल नि:शुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो।